न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/329

1. भंवर लाल आत्मज बरधा जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बाबू आत्मज बरधा जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. उच्छव आत्मज रामनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. महावीर आत्मज रामनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. बद्री आत्मज बरधा जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. संतोष पत्नी स्व0 राधेश्याम जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. रूपल आत्मज स्व0 राधेश्याम जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी माटून्दा रोड गैस गोदाम के पीछे बून्दी नाबालिग जरिये संरक्षक माता संतोष पत्नी स्व0 राधेश्याम ।
8. रितु पुत्री स्व0 राधेश्याम जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी माटून्दा रोड गैस गोदाम के पीछे बून्दी नाबालिग जरिये संरक्षक माता संतोष पत्नी स्व0 राधेश्याम ।
9. कान्ता आत्मज बरधा जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मांग्या उर्फ मांगीलाल आत्मज भूराज जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामस्वरूप आत्मज रामनिवास जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रामकरण आत्मज रामनिवास जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. हीरा आत्मज भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 बून्दी द्वारा श्रीयुत शाखा प्रबन्धक महोदय बून्दी जिला बून्दी ।
6. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
7. रामदेव पुत्र रतना जाति बैरवा निवासी शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. शंकर लाल पुत्र रतना जाति बैरवा निवासी शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी (नाम तर्क)

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

दिनांकः 28.08.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 188 एवं 92 (ए) के अन्तर्गत ग्राम देवपुरा उर्फ खानिका तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी कुल किता 09 की रकबा 42 बीघा 02 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 12 के संयुक्त सहखातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि है । वादी का उक्त भूमि में 1/8 हिस्सा है जिस पर वह काबिज काश्त है । उक्त भूमि पर पक्षकारान के पूर्वजों ने आपसी सहमति से पारस्पिरिक समझौते के अनुसार मौके पर विभाजन कर लिया था और उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादी कम 1 से 4 जबरन ताकत के बल पर वादी के हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 12 के मध्य चरण संख्या 03 में वर्णित भूमि का हिस्सानुसार विभाजन किया जावे तथा तद्नुसार मौके पर एवं नक्शा ट्रेस पर मेड अंकित की जावे तथा वादी को उनके हिस्से की भूमि की पृथक सीमा अंकित कर वादी को कब्जा दिलाया जावे तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अलग प्रविष्टिया करके लगान की अदायगी पृथक–पृथक निश्चित की जावे । प्रतिवादीगण कम 1 से 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादपत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित हिस्सानुसार कृषि भूमियों पर जबरन अवैध व अनाधिकृत रूप से वादी के हिस्से की भूमियों पर कब्जा नहीं करे और वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1 से 9 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.05.2016 को ही प्रतिवादी कम 12 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया और उसी दिन उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की अनुपस्थिति में उन्हें सुनवाई एवं

सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही लोक अदालत में वादी का वाद डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने एक वाद वादग्रस्त आराजी के बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 एवं 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण अपने – अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं । प्रतिवादी कम 1 से 8 व प्रतिवादी कम 10 व 11 की ओर से दिनांक 06.05.2016 को जवाबदवा पेश किया गया व शेष प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से दिनांक 25.05.2016 को जवाबदावा पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में दिनांक 17.06.2016 आगामी तारीख पेशी नियत की थी परन्तु उससे पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखा गया जिसकी सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गई। सीपीसी की पालना किये बिना ही अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । रेस्पोडेन्ट कम 4 हीरा द्वारा अपने हिस्से की आराजी को पूर्व में ही बेचान कर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । लोक अदालत में पक्षकार उपस्थित हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है । जवाबदावा स्वीकारोक्ति के साथ पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने वादग्रस्त आराजी के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 एवं 92 (क) का पेश किया था । उक्त वाद में प्रतिवादी कम 1 , 3, 5, 6, 7, 8 व 11 के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया । प्रतिवादी कम 2, 4, 10 एवं 11 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं किया जिसका अवसर चाहा गया । प्रतिवादी कम 09 का तलवाना पेश करने पर तलबी जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया और पत्रावली दिनांक 23.05.2016 को तलबी प्रतिवादी कम 09 एवं वकालतनामा प्रतिवादी कम 4, 10 एवं 11 के लिये पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी नियत की गई । 23.05.2016 को पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत कैम्प में व्यस्त होने से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी

दिनांक 17.06.2016 नियत की गई और इससे पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रतिवादी कम 1 भंवर लाल, प्रतिवादी कम 03 उच्छव एंव प्रतिवादी कम 4 महावीर की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाए गये हैं । शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । पक्षकारान ने किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक डिक्री में ही स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जबकि स्थायी निषेधाज्ञा अंतिम डिक्री में जारी की जानी चाहिए ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा